सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 09, गुरूवार, *शाके* 1947- जनवरी 29, 2026
Magha 09, Thursday, Saka 1947- January 29, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप–9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 22, 2026

संख्या प. 20 (**1**) **गृह-**9/**2023** :-यतः राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः राज्य सरकार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को एतद्द्वारा दिनांक 01.02.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मनीष गोयल,
विशिष्ट शासन सचिव।

गृह (ग्रुप–9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 22, 2026

संख्या प. 20 (**1**) **गृह-**9/**2023** :-यत राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970, (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-02-2026 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 01-02-2026 से दिनांक 30-04-2026 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

यत राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप–धारा (1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 01.02.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मनीष गोयल,
विशिष्ट शासन सचिव।

19162

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।